

# राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

क्रमांक: एफ.7(1)(2)पंचा/रानिआ/15/5384

जयपुर, दिनांक: 24/7/2015

जिला निर्वाचन अधिकारी  
(पंचायत) (कलक्टर)  
जयपुर एवं जालौर।

**विषय:-** जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी की ग्राम पंचायत बस्सी एवं जालौर जिले की पंचायत समिति सायला की ग्राम पंचायत थलवाड़ के साधारण निर्वाचन अगस्त, 2015 - प्रारम्भिक तैयारियां।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की 2 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव अगस्त, 2015 में करवाये जाने हैं। निर्वाचन कार्यक्रम आयोग द्वारा शीघ्र ही घोषित किया जायेगा।

इन चुनावों से संबंधित सभी तैयारियां आप द्वारा समय पर ही सम्पन्न करायी जानी हैं। रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति, मतदान दलों का गठन मतदान सामग्री की तैयारी, आदि व्यवस्थाएँ कराया जाना सुनिश्चित कर लें। माह जनवरी-फरवरी, 2015 में सम्पन्न हुए आम चुनाव के समय आपको महत्वपूर्ण निर्देश, जो समय समय पर जारी हुए थे, का संकलन कर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। अतः इन निर्देशों को ध्यान में रखकर आप द्वारा कार्यवाही की जानी है।

इन ग्राम पंचायतों के आम चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की आपके पास उपलब्ध ईवीएम उपयोग में ली जायेगी। यदि राज्य निर्वाचन आयोग की ईवीएम (सीयू एवं बीयू) आपके पास आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं है तो आयोग को सूचित करें ताकि अन्य जिलों से आपको ईवीएम उपलब्ध करवाई जा सके।

1. **पुस्तकें** - पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से संबंधित समय-समय पर जारी महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन (Compendium of Instruction) तथा Manual of Panchayati Raj Election Law, राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड है। उक्त पुस्तकें इस बार आयोग द्वारा मुद्रित करवाकर चुनाव सामग्री के साथ वितरित नहीं की जावेंगी। मतदान दलों के लिए मार्गदर्शिका पुस्तिका तैयार की जा चुकी है। मार्गदर्शिका पुस्तिकाएँ आवश्यकतानुसार आयोग से प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त मार्गदर्शिका आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
2. **मतदाता सूचियां :-**  
दिनांक 01.01.2015 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार की गई मतदाता सूचियाँ जिनका अंतिम प्रकाशन दिनांक 20.7.2015 को किया गया है, मतदान के लिये काम में ली जायेंगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास मतदाता सूचियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए।  
मतदाता सूचियों में अंतिम प्रकाशन के पश्चात् भी लोकसूचना जारी होने तक निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के अंतर्गत मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने, विलोपित करने तथा अशुद्धियों को शुद्ध करने के प्रावधानों के अनुसार संशोधन हो सकता है। अतः मतदाता सूचियों में जो कमियाँ रह जायें उन्हें उक्तानुसार सही करवाया जावे। इस विषय में आयोग द्वारा पत्रांक 4138 दिनांक 19.9.2014 को प्रसारित निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. **मतदान केन्द्रों का विनिश्चय रिटर्निंग अधिकारियों/मतदान अधिकारियों की नियुक्ति** - राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 30 के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों के

24.7.15/5384

अध्यधीन रहते हुए मतदान केन्द्रों/बूथों का चयन निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 5001 दिनांक 27.10.2014 के द्वारा आपको निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

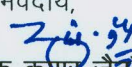
राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 23 (2) के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत वृत्त के निर्वाचन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी तथा नियम 31 के अंतर्गत मतदान दलों की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जावेगी। मतदान दल के गठन के संबंध में आवश्यक तैयारी आरम्भ कर ली जावे। इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्रांक 5214 दिनांक 30.10.2014 के द्वारा यह भी बताया गया था कि, मतदान दल में ऐसा कोई अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त न किया जावे जो उस पंचायत समिति क्षेत्र का निवासी हो अथवा वहाँ पदस्थापित हो, जिसके अंतर्गत मतदान केन्द्र आता है। उक्त निर्देशों के क्रम में इन पंचायत क्षेत्रों के किसी भी कर्मचारी/अधिकारी, जो वहाँ का मतदाता हो, का मतदान दल में नहीं लगाया जाना है। इसलिए इन चुनावों में डाकमतपत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

4. **मतदान सामग्री**— आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव जनवरी-फरवरी, 2015 में 16 जिलों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से कराये थे। अतः जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के ईवीएम से निर्वाचन हेतु मुद्रित सामग्री को पंच एवं सरपंच चुनाव में यथाशक्य परिवर्तनों के काम में लिया जाना है।

अतः लिफाफे एवं स्टीकर, फार्म्स आदि आवश्यकतानुसार आयोग से प्राप्त किये जा सकते हैं यदि आवश्यक हो तो ईवीएम की बैट्री भी प्राप्त कर लें।

5. **ईवीएम एवं उससे संबंधित मतपत्र** — राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इन 2 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव ईवीएम के माध्यम से करवाये जाने का निर्णय लिया है। ईवीएम की प्रथम स्तरीय जाँच (First Level Checking) आपके पास उपलब्ध इस संबंध में विज्ञा स्टाफ कीटीम से करवाया जाना है। ईवीएम के मतपत्र भी निजी मुद्रणालयों से मुद्रित होंगे, इसके लिए कागज राजकीय मुद्रणालयों से दिनांक 31.07.2015 तक प्राप्त करने की कार्यवाही करें। ईवीएम पर प्रदर्शित करने हेतु मतपत्र पंच पद के लिए गुलाबी कागज पर सरपंच पद के लिए सफेद कागज पर मुद्रित करवाया जायेगा।
6. **बजट** — विभिन्न मदों पर बजट की आवश्यकतानुसार आप द्वारा मांग रखे जाने पर आयोग द्वारा बजट आवंटित किया जायेगा।
7. **निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना** — इस संबंध में आयोग के पत्रांक 9440 दिनांक 15.12.2014 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। मॉडल फार्म के प्ररूप भी पत्र के साथ संलग्न हैं।
8. **चुनाव व्यवस्था के लिए प्रकोष्ठ स्थापित करना** — जिला स्तर पर चुनाव की आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठ गठित किये जाने हैं। अतः इनका गठन भी शीघ्र कर लिया जावे।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि समस्त प्रक्रिया एवं कार्यवाही आपको निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करानी होगी, जिसके लिए प्रारम्भिक तैयारियां शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,  
  
(अशोक कुमार जैसवाल)  
सचिव

क्रमांक: एफ.7(1)(2)पंचा/रानिआ/15/5385-86  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर राजस्थान।
2. राजकीय मुद्रणालय, जयपुर एवं उदयपुर।

जयपुर, दिनांक: 24/7/2015

  
(धारा सिंह मीणा)  
सहायक सचिव